

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

अ0सं0 :- 2/अ0प्र0-1-105/22

अधिसूचना

488

/पटना, दिनांक :- 7.3.23

चूँकि बिहार राज्यपाल को ऐसा विश्वास करने का कारण है कि श्री रंजीत कुमार, सहायक अभियंता ने कार्यकारी प्रभार- कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल अरवल के रूप में कार्य करते हुए कार्य प्रमंडल अरवल अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के कार्यों में अनियमितता बरती है, जैसा की संलग्न आरोप पत्र में अन्तर्विष्ट है। इसलिए बिहार राज्यपाल ने आदेश दिया है कि श्री कुमार के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17 के तहत विहित रीति से विभागीय कार्यवाही संचालित की जाय।

2. विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17 के तहत मुख्य अभियंता-2, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी तथा श्री विनय कुमार, सहायक अभियंता, मुख्य अभियंता-2 का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

3. श्री रंजीत कुमार, सहायक अभियंता (कार्यकारी प्रभार-कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल अरवल) को निदेश दिया जाता है कि वे संचालन पदाधिकारी के समक्ष आदेश की प्राप्ति के दस कार्य दिवस के पश्चात् किसी भी समय, जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें स्वयं उपस्थित हो।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना की एक प्रति संचालन पदाधिकारी/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी/आरोपित पदाधिकारी को अनुलग्नक की प्रति के साथ जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

3/3/2023

(संजय दूबे)

विशेष सचिव

ज्ञापांक :- 2/अ0प्र0-1-105/22

469Cm

/पटना, दिनांक :- 7.3.23

प्रतिलिपि :- आरोप पत्र/साक्ष्य की प्रति के साथ मुख्य अभियंता-2, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना सह-संचालन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अविलम्ब विभागीय कार्यवाही आरम्भ कर दी जाय तथा 45 (पैंतालीस) दिनों के अन्दर विभागीय कार्यवाही पूर्ण कर जाँच प्रतिवेदन अपने संतव्य के साथ तीन प्रतियों में तथा कार्यवाही अभिलेख सरकार को समर्पित करने की कृपा की जाय।

अनु0 :- यथोक्त।

3/3/2023

विशेष सचिव

ज्ञापांक :- 2/अ0प्र0-1-105/22

469Cm

/पटना, दिनांक :- 7.3.23

प्रतिलिपि :- आरोप पत्र/साक्ष्य की प्रति के साथ श्री विनय कुमार, सहायक अभियंता, मुख्य अभियंता-2 का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना एवं श्री रंजीत कुमार, सहायक अभियंता (कार्यकारी प्रभार-कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल अरवल) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

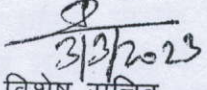
अनु0 :- यथोक्त।

3/3/2023

विशेष सचिव

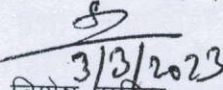
ज्ञापांक :- 2/अ0प्र0-1-105/22 469 /पटना, दिनांक :- 7.3.23

प्रतिलिपि :- माननीय उप मुख्य (ग्रामीण कार्य) मंत्री के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/सचिव के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, औरंगाबाद/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-5/6, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


3/3/2023
विशेष सचिव

ज्ञापांक :- 2/अ0प्र0-1-105/22 469 /पटना, दिनांक :- 7.3.23

प्रतिलिपि :- आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


3/3/2023
विशेष सचिव